

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत तहसील बनेड़ा  
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर  
(आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 137/2015

उनवान

1. राधेश्याम पिता देबीलाल गुर्जर नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. रामूदेवी पत्नि देबीलाल गुर्जर नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. मगनी पत्नि बालु गुर्जर नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. राधा पत्नि भैरूलाल गुर्जर नि0 नानोदिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)

—————( प्रार्थीगण )

बनाम

- 1 गोपी पिता हजारी गुर्जर नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 2 सांवरा पिता गोपी गुर्जर नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 3 भंवर पिता मांगु बलाई नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 4 लादु पिता देबीलाल बलाई नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 5 कूकाराम पिता मांगु बलाई नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 6 जमनालाल पिता मोहन बलाई नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 7 कालु पिता बद्री बलाई नि0 कमालपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—————( अप्रार्थीगण )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 12.03.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 25.01.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कमालपुरा प0ह0 चमनपुरा भू0अ0नि0क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 85 के आ0न0 248, 249/2, 251/1, 252 कुल किता 4 कुल रकबा 05-03 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बनेड़ा मे दिनांक 12.03.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी गण संख्या 8 द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना बताया। इस प्रकार विपक्षी गण की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

ग्राम कमालपुरा प0ह0 चमनपुरा भू0अ0नि0क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 85 के आ0न0 248, 249/2, 251/1, 252 कुल किता 4 कुल रकबा 05-03 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 600/- रूपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बनेड़ा मे सरे इजलास सुनाया गया।

  
(संजय माथुर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा